

आदेश

वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या-5207/वि0, दिनांक-14.08.2002, झापांक-2981/ वि0, दिनांक-01.09.2009 एवं 1779/वि0, दिनांक 21.05.2014 में प्रावधानित नियम के आलोक में दिनांक-27.08.2026 को सम्पन्न महानिदेशक चयन पर्वद-सह-स्क्रीनिंग समिति की बैठक में चालक संवर्ग के परिवहन अवर निरीक्षक (स0) को ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 योजना अन्तर्गत क्रमशः 12/24 अथवा 10/20/30 वर्षों की नियमित सेवा के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 (छः) में अंकित निर्णय के अनुसार वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत किया जाता है:-

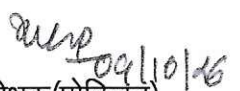
क्र0 स0	वृत्त का क्रमांक	पदनाम एवं नाम	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्त पद/नियुक्ति तिथि	महानिदेशक चयन पर्वद समिति का निर्णय
1	1	2	3	4	6
1	1	परिवहन अ0नि0(स) सुरेश कुमार	झा0स0पु0-03, गोविन्दपुर	आरक्षी 26.04.1990	दि0-26.04.2020 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-7 में देय।
2	2	परिवहन अ0नि0(स) राजकिशोर सिंह	झा0स0पु0-04, बोकारो	आरक्षी 27.08.1988	दि0-27.08.2018 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-7 में देय।
3	3	परिवहन अ0नि0 एमजन सुरीन	झा0स0पु0-05, देवघर	आरक्षी 23.04.1987	पुलिस मुख्यालय का आदेश झापांक- 261/एन0जी0ओ0 दिनांक-16.6.2026 के आलोक में दिनांक 18.04.2002 से प्रथम ए0सी0पी0 3200-85-4900 एवं दिनांक- 10.05.2011 से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2800 को संशोधित करते हुए दिनांक 09.08.1999 से प्रथम ए0सी0पी0 3200-85-4900, दिनांक-01.09.2008 से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 ग्रेड पे-2800 एवं दिनांक-23.04. 2017 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-6 में देय।
4	4	परिवहन अ0नि0(स) अरुण कुमार वर्मा	झा0स0पु0-07, हजारीबाग	आरक्षी 01.07.1988	दि0-01.07.2018 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-6 में देय।
5	5	परिवहन अ0नि0(स) सुनिल बाड़ा	झा0स0पु0-08, पलामू	आरक्षी 21.08.88	दि0-21.08.2018 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 लेवल-6 में देय।
6	6	से0नि0 परिवहन अ0नि0(स) राजेश्वर राम	झा0स0पु0-10 (म0वा0) होटवार, राँची	आरक्षी 21.03.1986	WP(S) No. 2398/2026 में पारित न्यायादेश के आलोक में पूर्व में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्ण होने के कारण दिनांक 23.12.2002 से स्वीकृत प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 3200-85-4900 एवं दिनांक 15.01. 2012 से स्वीकृत द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 को संशोधित करते हुए प्रथम ए0सी0पी0 दिनांक 09. 08.1999 से वेतनमान 3200-85-4900 में अनुमान्य। तदनुसार द्वितीय एम0ए0सी0पी0 दिनांक 01.09.2008 से ग्रेड पे 2800 में तथा तृतीय एम0ए0सी0पी0 दिनांक 21.03.2016 से लेवल-6 में देय।

2. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमणों के दौरान संबंधित कर्मों के वेतन का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) (ए) (I) के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन होगा।

3. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त पर प्राप्त है कि, वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप सक्षम स्तर द्वारा वेतन निर्धारण का सत्यापन होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।

mm

4. वित्त विभाग का पत्रांक-1365/वि0, दिनांक-07.04.2017 के आलोक में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति विभागीय संकल्पों/परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप करते हुए संबंधित कर्मी से ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के समय इस आशय का एक Undertaking/शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए कि "भविष्य में प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 में कोई त्रुटि पाये जाने पर आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली की जा सकेगी। साथ ही ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन सक्षम स्तर से किये जाने के उपरांत ही निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा"। इस वेतन निर्धारण संबंधी जिलादेश/बलादेश में समाहित किया जाय।
5. उक्त कर्मी का पूर्व में स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 में संशोधन/रद्द किये जाने पर अधिक भुगतान की गयी राशि की कटौती के संबंध में वित्त विभाग का संकल्प संख्या-151/वि0पे0, दिनांक-08.11.2018 के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
6. यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है, जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय कर्मी को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतनमान का संरक्षण देय नहीं होगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5207/वि0, दिनांक 14.08.2002, ज्ञापांक-2981/वि0, दिनांक 01.09.2009 एवं 1779/वि0, दिनांक 21.05.2014 के परिपत्रानुसार प्रभावी होगा। इस योजना के लागू होने के पूर्व का बकाया अनुमान्य नहीं होगा।
8. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप किसी प्रकार का पदस्थापन/पदोन्नति अथवा कैडर वरिष्ठता का अधिकार स्वतः उत्पन्न नहीं होगा। उच्चतर वेतनमान (वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को अन्य सुविधायें विभागीय नियम के अधीन होगी।
9. गृह विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्र सं0-2154, दिनांक-20.05.2026 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने हेतु पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची का आदेश ज्ञापांक-261/एन0जी0ओ0, दिनांक-16.06.2026 निर्गत किया गया है, जिसमें पुलिस मुख्यालय का आदेश ज्ञापांक-1196/पी0, दिनांक-17.11.2021 को निरस्त करते हुए पूर्व से निर्धारित प्रोन्नति के समतुल्य अर्हताओं यथा अनिवार्य योग्यता, पात्रता, प्रशिक्षण आदि की बाध्यता को बाधक न मानते हुए वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।
10. वेतन निर्धारण के क्रम में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2470, दिनांक-06.06.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति पर निर्णय क्षेत्रीय चयन पर्षद् से प्राप्त सेवाभिलेख/मनोनयन के आधार पर लिया गया है। अतएव संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा उक्त आदेश के क्रमांक-01 से 06 तक में वर्णित पुलिस पदाधिकारियों (जिन्हें ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाना है) की की मूल सेवापुस्तिका/अभिलेखों से उनकी सम्पुष्टि/नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि/दण्ड की प्रभावी अवधि एवं अन्य अहर्ता, जो ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 स्वीकृति हेतु अनिवार्य है, इत्यादि का मिलान करने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात् ही क्षेत्रादेश/जिलादेश निर्गत करेंगे, जिसके आधार पर ही प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ देय होगा। इस क्रम में किसी भी स्तर पर यदि कोई विसंगति प्रकाश में आती है तो तत्काल इसकी सूचना सक्षम पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा उसका निराकरण होने के उपरांत ही प्रदत्त लाभ देय होगा।


 पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजन),
 झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-747/टी0एस0

15.02.2026

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 09/10/26

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक झा0स0पु0, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. पुलिस उप-महानिरीक्षक झा0स0पु0, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. समादेष्टा, झा0स0पु0- 03 / 04 / 05 / 07 / 08 / 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. प्रभारी, डाटा सेन्टर, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को संबंधित वृत्त की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि वृत्त की प्रति झारखण्ड पुलिस की वेबसाईट- WWW.jhpolice.gov.in पर प्रकाशित किया जाय।

09/10/16
पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजन),
झारखण्ड, राँची।